

क्रमांक: न.पा.न. / 2026-27 / 39

दिनांक 21 / 05 / 2026

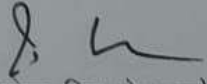
प्रेषिती:-

मैसर्स श्रीनाथ रीयलिटीज नवलगढ़ जरिये पार्टनर श्री नरेश चन्द्र पुनियां पुत्र श्री दया चन्द पुनियां, निवासी-बी 7 हरी नगर, शास्त्री नगर, जयपुर (राज0) विषय:- राजस्व ग्राम ढाका की ढाणी तहसील नवलगढ़ के खसरा नम्बर 597 / 120, 603 / 123 कुल रकबा 1.9550 हैक्टेयर भूमि पर श्रीनाथ एनक्लेव फैंज-E आवासीय योजना के अनुमोदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम ढाका की ढाणी तहसील नवलगढ़ के खसरा नम्बर 597 / 120, 603 / 123 कुल रकबा 1.9550 हैक्टेयर भूमि पर श्रीनाथ एनक्लेव फैंज-E आवासीय योजना को टाउनशिप पॉलिसी 2024 की पालना सुनिश्चित करते हुए निम्नांकित शर्तों के अध्वधीन विकसित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. रेरा (RERA) में रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरान्त ही भूखण्डों का विक्रय/बेचान किया जावे।
2. योजना संलग्न अनुमोदित मानचित्रानुसार ही विज्ञ-तकनीकीविद की देख-रेख में विकसित की जावेगी। सर्वप्रथम अनुमोदित प्लान अनुसार सम्पूर्ण योजना के चारों ओर सुरक्षा दिवार बनायी जाकर न्यास को सूचित करना होगा।
3. समस्त विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2024 के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही किये जाने होंगे तथा नियमों की कठोरता से पालना की जानी आवश्यक है।
4. अनुमोदित योजना में सीसी सड़क निर्माण कार्य के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कार्य किया जाने की सुनिश्चितता करनी होगी।
5. वाटर ड्रेनेज, ओवर हैड टैंक एवं सीवरेज लाईन का निर्माण आवेदक द्वारा करवाया जावेगा अन्यथा इस हेतु राशि पालिका कोष में जमा करवाई जायेगी।
6. टाउनशिप पॉलिसी 2024 के अनुसार निर्धारित अवधि में आन्तरिक विकास कार्य आवेदक द्वारा पूर्ण किये जाने होंगे।
7. योजना के अनुमोदित मानचित्र को योजनास्थल पर बड़े पटल पर प्रदर्शित करना होगा।
8. भू-खण्डों का सीमांकन किया जाकर भू-खण्ड संख्या अंकित किया जाना होगा।
9. योजना में वृक्षारोपण भवन विनियम 2025 के अनुसार ही किया जाना होगा।
10. आन्तरिक विकास कार्यों के एवज में 09 भू-खण्डों (भूखण्ड संख्या 65, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 व 81) का पालिका के पक्ष में मॉर्टगेज (गिरवी) किया गया है एवं इस आशय का एक बोर्ड भी योजना में चस्पा किया जाना आवश्यक है।
11. विकासकर्ता को टाउनशिप पॉलिसी-2024 के अनुसार Maintenance किया जाना आवश्यक होगा।
12. बोरिंग/ट्यूबवेल/पाईपलाईन को नियमानुसार पी.एच.ई.डी. को हस्तान्तरण (Hand over) किया जाना होगा।
13. योजना में विद्युतिकरण का कार्य स्टेट इलेक्ट्रीसिटी रूल्स के निर्धारित मापदण्डानुसार किया जाकर ए.वि.वि.एन.एल. को हस्तान्तरण किया जाना होगा।

संलग्न:- अनुमोदित योजना मानचित्र।


(लोकेन्द्र सिंह शेखावत)
अधिसाषी अधिकारी
नगरपालिका नवलगढ़

ले आउट प्लान समिति (बैठक एजेण्डा)

टाउनशिप पोलिसी-के बिन्दु संख्या 2.4, 2C, Note. (4) के अनुसार अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अधिशाषी अधिकारी को समिति में प्राधिकृत एवं अधिशाषी अधिकारी के रूप में समिति अध्यक्ष माना जायेगा।

आज दिनांक 22.05.2026 को सांय 4.00 बजे कार्यालय नगरपालिका नवलगढ के अधिशाषी अधिकारी कक्ष में प्राधिकृत एवं अधिशाषी अधिकारी की अध्यक्षता में स्थानीय ले आउट प्लान समिति की बैठक आयोजित की गयी जिसमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

1. प्राधिकृत एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका नवलगढ	समिति अध्यक्ष
2. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका नवलगढ	सदस्य सचिव
3. कनिष्ठ अभियन्ता नगरपालिका नवलगढ	सदस्य
4. वरिष्ठ प्रारूपकार नगरपालिका नवलगढ	सदस्य
5. विधि शाखा प्रभारी, नगरपालिका नवलगढ	सदस्य

एजेण्डा संख्या 1:- ले आउट प्लान के अनुमोदन पर विचार विमर्श।

प्रस्ताव संख्या- 1:- ग्राम ढाका की ढाणी, तहसील-नवलगढ के खसरा संख्या 597/120, रकबा 1.2200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 603/123 रकबा 0.7350 हैक्टेयर कुल रकबा 1.9550 हैक्टेयर पर ग्रामीण आबादी विस्तार आवासीय कॉलोनी श्रीनाथ एन्क्लेव फेज-E के अनुमोदन पर विचार-विमर्श।

अधिशाषी अधिकारी ने समिति को अवगत कराया कि आवेदक श्रीनाथ रीयलिटीज नवलगढ जरिये पार्टनर श्री नरेश चन्द्र पूनिया पुत्र दयाचन्द पूनिया निवासी-बी-7 हरि नगर, शास्त्री नगर जयपुर द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन क्रमांक: LSGCLU90A 2026-27/109438 दिनांक 24.04.2026 के क्रम में पालिका के आदेश क्रमांक LSGCLU90A 2026-27/109438 दिनांक 13.05.2026 के द्वारा आवासीय अनुज्ञा जारी की जा चुकी हैं जिसके क्रम में खसरा संख्या 597/120, रकबा 1.2200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 603/123 रकबा 0.7350 हैक्टेयर कुल रकबा 1.9550 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में नगरपालिका नवलगढ के नाम दर्ज हो चुकी है। योजना के विकासकर्ता ने योजना मानचित्र अनुमोदन हेतु आवेदन किया है जिसकी पत्रावली में पहुंच मार्ग, भौतिक स्थिति तथा टाउनशिप पोलिसी के पैरामीटर्स के सन्दर्भ में तकनीकी परीक्षण कर रिपोर्ट कर दी गयी है।

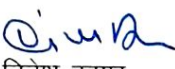
समिति द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद विचार विमर्श कर समिति द्वारा ले आउट प्लान के तकनीकी मापदण्डों तथा टाउनशिप पोलिसी के प्रावधानों व पैरामीटर्स की पालना के साथ सर्वसम्मति से ले-आउट प्लान स्वीकृत किया गया, टाउनशिप पोलिसी 2024 के बिन्दू संख्या 2.3 के अनुसार आवेदक का विकासकर्ता श्रेणी "D" में पंजीयन किया जा चुका है आवेदक से नियमानुसार ले-आउट प्लान अनुमोदन शुल्क व अन्य राशि जमा ली जावे।

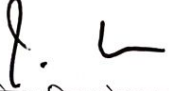
प्रस्ताव संख्या- 2:- ग्राम ढाका की ढाणी, तहसील-नवलगढ के खसरा संख्या 113, 114 115, 116, 601/598, 593/585, कुल रकबा 1.9900 हैक्टेयर पर ग्रामीण आबादी विस्तार आवासीय कॉलोनी श्रीनाथ एन्क्लेव फेज-F के अनुमोदन पर विचार-विमर्श।

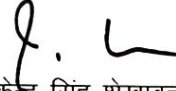
अधिशायी अधिकारी ने समिति को अवगत कराया कि आवेदक श्रीनाथ रीयलिटीज नवलगढ़ जरिये पार्टनर श्री नरेश चन्द्र पूनिया पुत्र दयाचन्द पूनिया निवासी-बी-7 हरि नगर, शास्त्री नगर जयपुर द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन क्रमांक: LSGCLU90A 2026-27/109437 दिनांक 24.04.2026 के क्रम में पालिका के आदेश क्रमांक LSGCLU90A 2026-27/109437 दिनांक 13.05.2026 के द्वारा आवासीय अनुज्ञा जारी की जा चुकी हैं जिसके क्रम में खसरा संख्या 113, 114 115, 116, 601/598, 593/585, कुल रकबा 1.9900 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में नगरपालिका नवलगढ़ के नाम दर्ज हो चुकी है। योजना के विकासकर्ता ने योजना मानचित्र अनुमोदन हेतु आवेदन किया है जिसकी पत्रावली में पहुंच मार्ग, भौतिक स्थिति तथा टाउनशिप पोलिसी के पैरामीटर्स के सन्दर्भ में तकनीकी परीक्षण कर रिपोर्ट कर दी गयी है।

समिति द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद विचार विमर्श कर समिति द्वारा ले आउट प्लान के तकनीकी मापदण्डों तथा टाउनशिप पोलिसी के प्रावधानों व पैरामीटर्स की पालना के साथ सर्वसम्मति से ले-आउट प्लान स्वीकृत किया गया, टाउनशिप पोलिसी 2024 के बिन्दू संख्या 2.3 के अनुसार आवेदक का विकासकर्ता श्रेणी "D" में पंजीयन किया जा चुका है आवेदक से नियमानुसार ले-आउट प्लान अनुमोदन शुल्क व अन्य राशि जमा ली जावे।


विकास राठौड़
वरिष्ठ प्रारूपकार
नगरपालिका नवलगढ़


नितेश कुमार
कनिष्ठ अभियन्ता
नगरपालिका नवलगढ़


लोकेन्द्र सिंह शेखावत
प्राधिकृत एवं अधिशायी अधिकारी
नगरपालिका नवलगढ़


लोकेन्द्र सिंह शेखावत
अधिशायी अधिकारी
नगरपालिका नवलगढ़


अनिल कुमार शर्मा
विधि शाखा प्रभारी
नगरपालिका नवलगढ़